

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन(गैर योजना)-78/2015.....

प्रेषक,

मिथिलेश मिश्र, मा०प्र०से०  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक,  
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,  
गुलजारबाग, पटना - 7

पटना, दिनांक : ...

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष 2029 (गैर योजना मद) के अन्तर्गत राशि आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके कार्यालय हेतु उपर्युक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत निम्न रूप में राशि आवंटित की जाती है :-

क्रमांक	इकाई कोड एवं विषय शीर्ष	आवंटित राशि
1	01 01 वेतन	67,58,000 / -
2	01 03 जीवन यापन भत्ता	79,72,000 / -
3	01 04 मकान किराया भत्ता	30,17,000 / -
4	01 05 परिवहन भत्ता	2,25,000 / -
5	01 06 चिकित्सा भत्ता	1,02,000 / -
6	01 07 अन्य भत्ता	20,000 / -
7	05 01 पुरस्कार	3,000 / -
8	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,06,000 / -
9	11 01 यात्रा व्यय	1,06,000 / -
10	13 01 कार्यालय व्यय	5,28,000 / -
11	13 03 दूरभाष	34,000 / -
12	13 04 विद्युत प्रभार	2,64,000 / -
13	13 06 वर्दी/पोशाक	1,00,000 / -
14	14 01 किराया महसूल एवं कर	70,000 / -
15	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	10,56,000 / -
16	28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	65,000 / -
	<b>कुल योग :-</b>	<b>2,04,26,000 / -</b> (दो करोड़ चार लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र)

9/9/15

4. आवंटित राशि मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 103 - भू-अभिलेख - उप शीर्ष - 0001 - भू-अभिलेख स्थापना (मांग संख्या - 40) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय है तथा इसका विपत्र कोड N 2029001030001 है।
5. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक - 2450/वि0 (2) दिनांक 17.04.1999 एवं पत्रांक 295 दिनांक 24.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
6. कृपया व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निहित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार की जाय।
7. वित्त विभाग के निदेशानुसार अब निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या-40 एवं विपत्र कोड-N2029001030001 भी अंकित करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
8. आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय विवरणी नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
9. बचत राशि को वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व अवश्य प्रत्यर्पित कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मिथिलेश मिश्र)

निदेशक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(गैर योजना)-78/2015..... पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(गैर योजना)-78/2015..... पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, उप कोषागार, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक - 17-आवंटन(गैर योजना)-78/2015-02(आवंटन) पटना, दिनांक :- 09/04/15

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबवाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। ✓

निदेशक